न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2018 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, करेडा

–(प्रार्थी)

बनाम 1. देवा पिता श्रीराम बलाई
निवासी गोरख्या तह. करेडा
2. गोपी पिता श्रीराम बलाई
निवासी गोरख्या तह. करेडा

–(विपक्षीगण)

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री विनोद कुमार तिवारी अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.07.2019

प्रार्थी तहसीलदार करेडा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि ग्राम खुमाणपुरा तहसील करेडा में स्थित आराजी नं. 175 रकबा 2.19 बीघा महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ के सफा नम्बर 18,21 संवत् 1984 में श्री देवजी स्थान देह गोरख्यां शिकमी नोला वल्द पीथा बलाई सा. गोरख्यां पु.के नाम दर्ज रिकार्ड थी। मेवाड सेटलमेण्ट के बाद संवत् 2009–2012 की जमाबंदी में खाता सं. 25 में आराजी सं. 175 रकबा 2.19 बीघा देवजी स्थान गोरख्यां के बजाय श्री रामा वल्द नोला बलाई सा. गोरख्यां मु.बि.क दौला वल्द जोधा तेली सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गयी। उक्त आराजी विरासत से नामान्तरकरण सं. 17 दिनांक 04.06.67 से रामा पिता नोला के बजाय देवा गोपी पिता रामा बलाई के नाम दर्ज हो गयी। आराजी सं. 175 रकबा 2.19 बीघा भू प्रबन्ध संवत् 2028 से 2033 के दौरान नवीन आराजी सं. 229, 230 बने एवं रकबा 2.19 बीघा का नवीन रकबा 2.10 बीघा ही बनता हैं। तहसील क्षैत्र करेडा में पुराने बंदोबस्त के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

दौरान 152.5 फीट की जरीब से पैमाईस किया गया जबकि नवीन बंदोबस्त में 165 फीट की जरीब से पैमाईस का कार्य किया गया। इस प्रकार गत भू भाग में प्रति बीघा 03 बिस्वा रकबा कम अंकित किया गया। आराजी सं. 230 रकबा 0.10 बीघा, आराजी सं. 229 रकबा 3.07 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि बनती हैं। अतः निवेदन हैं कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि को राजस्व अभिलेख में श्री देवजी स्थान गोरख्यिां के नाम दर्ज करवाई जावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 24.08.2018 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम खुमाणपुरा तहसील करेडा में स्थित आराजी नं. 175 रकबा 2.19 बीघा महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ के संवत् 1984 में श्री देवजी स्थान देह गोरख्यां शिकमी नोला वल्द पीथा बलाई सा. गोरख्यां पु.के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

मेवाड सेटलमेण्ट के बाद संवत् 2009–2012 की जमाबंदी में खाता सं. 25 में आराजी सं. 175 रकबा 2.19 बीघा देवजी स्थान गोरख्यां के बजाय श्री रामा वल्द नोला बलाई सा. गोरख्यां मु.बि.क दौला वल्द जोधा तेली सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गयी। उक्त आराजी विरासत से नामान्तरकरण सं. 17 दिनांक 04.06.67 से रामा पिता नोला के बजाय देवा गोपी पिता रामा बलाई के नाम दर्ज हो गयी।

ग्राम खुमाणपुरा की जमाबंदी संवत् 2072 से 2074 अनुसार खसरा नम्बर 227,229,230 रकबा 4.07 बीघा में भी देवा गोपी पिता रामा बलाई सा. गोरख्या के नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार करेडा द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री देवजी स्थान देह गोरख्यिां के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी ग्राम खुमाणपुरा तहसील करेडा में स्थित आराजी नं. 175 रकबा 2.19 बीघा महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ के संवत् 1984 में श्री देवजी स्थान देह गोरख्यां शिकमी नोला वल्द पीथा बलाई सा. गोरख्यां पु.के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, करेडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। मेवाड सेटलमेण्ट के बाद संवत् 2009–2012 की जमाबंदी में खाता सं. 25 में आराजी सं. 175 रकबा 2.19 बीघा देवजी स्थान गोरख्यां के बजाय श्री रामा वल्द नोला बलाई सा. गोरख्यां मु.बि.क दौला वल्द जोधा तेली सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गयी। उक्त आराजी विरासत से नामान्तरकरण सं. 17 दिनांक 04.06.67 से रामा पिता

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

नोला के बजाय देवा गोपी पिता रामा बलाई के नाम दर्ज हो गयी। ग्राम खुमाणपुरा की जमाबंदी संवत् 2072 से 2074 अनुसार खसरा नम्बर 227,229,230 रकबा 4.07 बीघा में भी देवा गोपी पिता रामा बलाई सा. गोरख्या के नाम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। इस प्रकार खसरा महकमा बन्दोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ संवत् 1984 अनुसार ग्राम खुमाणपुरा तहसील करेडा के साबिक खसरा नम्बर 175 रकबा 2.19 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 229, 230 रकबा 2.10 बीघा भूमि जो श्री देवजी स्थान गोरख्यिां के नाम दर्ज थी जिसे बिना किसी आदेश भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा संवत् 2024 अनुसार देवा गोपा पिता रामा बलाई पुजारी के नाम विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी। जिसे पुनः विपक्षी देवा गोपी पिता रामा बलाई सा. देह खातेदार के नाम से हटाया जाकर श्रीदेव जी स्थान गोरख्यिां के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)